



जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 12.07.2021

थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 तस्कर गिरफ्तार, 95 पच्चे अवैध शराब बरामद

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 11.07.2021 को समय 20.30 बजे थाना लिंक रोड पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा चौकी क्षेत्र महाराजपुर शराब ठेके के पास खाली ग्राउंड से मुखविर की सूचना पर अभियुक्त फरमान पुत्र आरिफ निवासी चाँद के मकान में किरायेदार 32/227 त्रिलोकपुरी थाना त्रिलोकपुरी दिल्ली मूल निवासी जयंतीपुर पुलिस चौकी के पीछे मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 95 पच्चे अवैध शराब मार्का असली संतरा मसालेदार (हरियाणा प्रदेश) बरामद हुई ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. फरमान पुत्र आरिफ निवासी चाँद के मकान में किरायेदार 32/227 त्रिलोकपुरी थाना त्रिलोकपुरी दिल्ली मूल निवासी जयंतीपुर पुलिस चौकी के पीछे मुरादाबाद ।

बरामदगी का विवरण -

1. 95 पच्चे अवैध शराब मार्का असली संतरा मसालेदार (हरियाणा प्रदेश)

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 0427/2021 धारा 60/63 आब0अधि0

थाना विजयनगर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी व आबकारी टीम द्वारा दिनांक 11.07.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी हरीश राणा नकली क्यू आर कोड 233 व ढक्कन 139 मिश्रित शराब के 44 क्वार्टर RS ब्राण्ड व 48 क्वार्टर इम्पीरियल ब्लू ब्राण्ड व 7 पीस 375 ML RS ब्राण्ड व 375 ML की खाली अर्धे RS ब्राण्ड व 33 पच्चा RS ब्राण्ड के साथ सब्जी मंडी वाली गली मवई रोड थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- हरीश राणा पुत्र वीरपाल सिंह R/O घटाल थाना अरनिया खुर्द जिला बुलन्दशहर हाल किराये दार पण्डित गौतम का मकान सब्जी मण्डी वाली गली मवई रोड थाना विजय नगर जिला गा.बाद

पूछताछ का विवरण

अभि० हरीश राणा ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने साथी आशीष के साथ मिलकर शराब की बोतलो, अध्धा, पव्वा पर नकली कम्पनी के बने क्यू आर कोड व ढक्कन लगाकर पानी मिलाकर लाभ कमाने के इरादे से असली कापी बनाकर बेचने का कार्य करता हूँ। आज मैं शराब बेचने जा ही रहा था कि आपने हमे पकड़ लिया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.सं. 961/21 धारा 60 Ex Act व 420,467,468,120B IPC व धारा 54,63 कापीराइट एक्ट थाना विजयनगर गा०बाद बनाम हरीश राणा व आशीष पुत्र अनन्दी प्रसाद निवासी परसरा भरवारी थाना कसिया जिला कौशाम्बी

बरामदगी का विवरण

1. नकली क्यू आर कोड 233 व ढक्कन 139 मिश्रित शराब के 44 क्वार्टर RS ब्राण्ड व 48 क्वार्टर इम्पीरियल ब्लू ब्राण्ड व 7 पीस 375 ML RS ब्राण्ड व 375 ML की खाली अध्धे RS ब्राण्ड व 33 पव्वा RS ब्राण्ड



***थाना मुरादनगर पुलिस ने हत्या की घटना का चंद घंटों में किया अनावरण, घटना में शामिल तीन अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल एक पिस्टल 32 बोर व 2 जिन्दा कारतूस बरामद* ।**

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.07.2021 को वादी श्री शहजाद पुत्र वकीलू नि० मौ० कच्ची सराय कैला मण्डी थाना मुरादनगर गा०बाद ने अपने पुत्र समीर की हत्या हो जाने का सम्बन्ध सूचना/लिखित तहरीर दी थी। सूचना/लिखित तहरीर पर थाना मुरादनगर पर मु०अ०स० 702/21 धारा 302 भादवि तत्काल पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही- श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर को टीम गठित कर तत्काल घटना के अनावरण व आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश जारी किये थे। इसी क्रम में गठित टीमों द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल इंटेलिजेंस, बयान व पूछताछ, भौतिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अन्य संकलित किये गये साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. आहद पुत्र आस मौहम्मद नि० मौ० कच्ची सराय धर्मशाला कस्बा व थाना मुरादनगर गा०बाद 2. वहाब चौधरी पुत्र हफीजुद्दीन नि० मौहल्ला कच्ची सराय कस्बा व थाना मुरादनगर गा०बाद 3. आफताब पुत्र कोसो नि० मौ० कच्ची सराय कस्बा व थाना मुरादनगर गा०बाद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त आहद की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त

आलाकत्ल एक पिस्टल 32 बोर व 2 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं, गिरफ्तार अभियुक्त से घटना के बारे में गहनता से पूछताछ कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त आहद ने बताया कि मेरी माँ की हत्या करीब एक वर्ष पहले हुई थी जिसमें मैं, समीर, शाहरुख तथा मेरे पिता आस मौहम्मद तथा मेरे पिता की दूसरी पत्नी भूरी उर्फ तब्बसूम जेल गये थे। समीर फिर से गैंगस्टर में जेल चला गया था जो करीब एक-डेढ़ महीने पहले जेल से छूटकर आया था। मेरे ताऊ वहाब चौधरी ने मुझे अपने घर बुलाया और मैं अपनी साथियों अनस, आफताव, नदीम उर्फ घोडा तथा बिलाल के साथ अपने ताऊ वहाब चौधरी के घर गया वहां पर मेरे ताऊ का लडका आदिल भी मौजूद था मेरे ताऊ ने कहा कि तेरे पिताजी अभी तक जेल में है तथा भूरी उर्फ तब्बसूम तथा समीर खुले में घूम रहे हैं जिससे हमारी काफी बदनामी हो रही है तू समीर को मार क्यों नहीं देता तथा मेरे ताऊ ने अपने लडके आदिल से कहा कि इसे पिस्टल दे दे और आदिल ने मुझे पिस्टल दी तो मैं तथा अनस दिनांक 10.07.2021 की शाम को समीर को खाने पीने के बहाने बुलाकर लाये और रात को करीब 10.00 बजे प्रीत विहार कब्रिस्तान के पास जुआर के खेत में ले जाकर मैंने अपने साथियों के साथ समीर की गोली मारकर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता

1. आहद पुत्र आस मौहम्मद नि0 मौ0 कच्ची सराय धर्मशाला कस्बा व थाना मुरादनगर गा0बाद
2. वहाब चौधरी पुत्र हफीजुद्दीन नि0 मौहल्ला कच्ची सराय कस्बा व थाना मुरादनगर गा0बाद
3. आफताव पुत्र कोसो नि0 मौ0 कच्ची सराय कस्बा व थाना मुरादनगर गा0बाद

बरामदगी

एक पिस्टल व दो कारतूस जिन्दा 32 बोर

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा सट्टा पर्ची, दो छोटी डायरी 2 पैन्, कुल 3680 रुपया नकद व दो अदद चाकू नाजायज के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 11.07.2021 को चैकिंग के दौरान दो शातिर अपराधी **1. जयसिंह 2. संदीप को सट्टा पर्ची, दो छोटी डायरी 2 पैन्, कुल 3680 रुपया नकद व दो अदद चाकू नाजायज** के साथ रेलवे कालोनी, शिव मन्दिर के पास माधोपुरा, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 2- जय सिंह पुत्र मुरलीधर, नि. कस्बा व थाना जवां, जनपद अलीगढ, हाल किरायेदार शिव मन्दिर के पास माधोपुरा, थाना विजयनगर गाजियाबाद
- 3- संदीप त्यागी पुत्र अशोक त्यागी, नि. कस्बा व थाना जवा, जनपद अलीगढ, हाल सी 15, सैक्टर 12, माता कालोनी, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- 1- मु.अ.सं. 957/21 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना विजयनगर गा0बाद बनाम जयसिंह
- 2- मु.अ.सं. 958/21 धारा 4/25 Arms Act. थाना विजय नगर गा0बाद बनाम जयसिंह
- 3- मु.अ.सं. 959/21 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना विजयनगर गा0बाद बनाम संदीप त्यागी
- 4- मु.अ.सं. 960/21 धारा 4/25 Arms Act. थाना विजयनगर गा0बाद बनाम संदीप त्यागी

अपराधिक इतिहास अभि० जय सिंह

1. मु०अ०सं० 25/21 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना विजयनगर गा०बाद
2. मु०अ०सं० 26/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर गा०बाद

बरामदगी का विवरण

1. सट्टा पर्ची, दो छोटी डायरी 2 पैन, कुल 3680 रुपया नकद
2. दो अदद चाकू नाजायज

***थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 02 पहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद* ।**

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के आदेशानुसार चलाये गये वाछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मोदीनगर के सफल पर्यवेक्षण में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में 30 नि० श्री सौरभ कुमार की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सौन्दा कट से चैकिंग के दौरान (1) समीर पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद (2) प्रदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम मौ० पुस्ता चौरी फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद (3) सचिन पुत्र दयाराम निवासी ग्राम भोजपुर तैलियाना मस्जिद के पास भोजपुर गाजियाबाद को चोरी की 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिल सहित दिनांक 11.07.2021 को गिरफ्तार किया गया। विस्तृत पूछताछ कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

***पूछताछ का संक्षिप्त विवरण* -**

अभियुक्त गण ने पूछताछ पर बताया कि हमारे द्वारा सुनसान जगह / हास्पिटल / बैंक आदि से वाहन चोरी कर कबाड़ी को सस्ते दामों में बेच देते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण

1. समीर पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष
2. प्रदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम मौ०पुस्ता चौरी फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद 0 उम्र 26 वर्ष
3. सचिन पुत्र दयाराम निवासी ग्राम भोजपुर तैलियाना मस्जिद के पास भोजपुर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

***बरामदगी का विवरण* -**

- 1 मोटसाइकिल यूपी-14-सीएम-2788 सम्बन्धित मु०अ०स० 2192/17 धारा 379 भादवि थाना सिहानी गेट
- 2 मोटसाइकिल यूपी-15-बीएक्स-7179 सम्बन्धित मु०अ०स० 578/21 धारा 379 भादवि थाना मोदीनगर
- 3 मोटसाइकिल डीएल-65-एटी-7542 सम्बन्धित मु०अ०स० 719/21 धारा 379 भादवि थाना मोदीनगर
- 4 मोटसाइकिल स्पलन्डर बिना नम्बर प्लेट सम्बन्धित मु०अ०स० 724/21 धारा 411/414 भादवि थाना मोदीनगर

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण मे थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान दिनांक 12.07.21 को गांव कन्नौजा से सोनू पुत्र सरोज नि० जलालपुर रोड डागर विहार कालोनी कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गा०बाद को 01 चोरी की मोटरसाइकिल न० DL5SY 3421 सहित गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

सोनू पुत्र सरोज नि० जलालपुर रोड डागर विहार कालोनी कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गा०बाद

बरामदगी –

एक मोटरसाइकिल स्पलेन्डर पल्स गाडी न० DL5SY 3421

थाना मसूरी पुलिस द्वारा पैरीफैरल हाईवे पर मार-पीट से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही -श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा० श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि० 12.07.21 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा०बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब दिनांक 01.07.21 को पैराफैरल हाईवे पर वस कन्डैक्टर कासिम के साथ मारपीट करने वाले दूसरी बस के कन्डैक्टर सलीम पुत्र शेरजमा निवासी मयूर विहार डासना थाना मसूरी उम्र करीब-26 वर्ष एवं सहायक आतिफ पुत्र अकरम निवासी ग्राम दोतई थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड उम्र करीब 23 वर्ष को को मुखबिर की सूचना पर कल्लुगढी कट से समय लगभग 01.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-दिनांक 04.07.21 को असद ट्रेवल्स की बस न0-UP 15 CT-7683 के कन्डैक्टर कासिम पुत्र इन्साफ अली नि0मौहल्ला चौधरियान कस्वा व थाना स्याना जिला बुलन्दशहर के साथ ब्लू स्काई ट्रेवल्स के कन्डैक्टर सलीम और सहायक अतीक उपरोक्त व अतीक के भाई नदीम द्वारा एक दूसरे की बस बुक सवारी को लेकर माप-पीट कर दी जिसमे बादी की तहरीर/मेडिकल के आधार पर मु0अ0स0-586/21 धारा 323/325/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत कर आज दिनांक 12.07.21 को वाछित अभियुक्त सलीम व अतीक उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) सलीम पुत्र शेरजमा निवासी मयूर विहार डासना थाना मसूरी उम्र करीब-26 वर्ष
- (2) आतिफ पुत्र अकरम निवासी ग्राम दोतई थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

- (1) मु0अ0स0 586/21 धारा 323/325/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद